उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 1097 / स० बैठक दिनांक, देहरादून, 22 मार्च, 2021

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त।

महोदय,

दिनांक 25.02.2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक के कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

बैठक के कार्यवृत्त उत्तराखण्ड कैम्पा की वेबसाइड पर भी अपलोड किए गये हैं।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

दिनांक 25.02.2021 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आहूत उत्तराखण्ड कैम्पा की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. डा. हरक सिंह रावत, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड।
4. श्री एस0एस0 नेगी, सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
5. श्री जे0एस0 सुहाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
6. डा. पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
7. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
8. सुश्री अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री योगेन्द्र रावत, अपर निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

1– वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 की समीक्षा :–

(क) वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 की वित्तीय प्रगति :– सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2020–21 की भारत सरकार द्वारा रु0 22856.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत रु0 22509.00 लाख की कार्ययोजना के विरूद्ध अब तक क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त कुल रु0 18960.69 लाख व रु0 12582.62 लाख के व्यय की प्रगति से अवगत कराया गया, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	अर्जित ब्याज	कुल योग
स्वीकृत कार्ययोजना	5575.00	3000.00	11616.00	1443.00	875.00	22509.00
अवमुक्त धनराशि	5017.50	2978.00	9611.04	1111.78	242.38	18960.69
व्यय धनराशि	3198.64	2194.37	6479.96	696.97	7.68	12582.62
अवमुक्त के सापेक्ष व्यय %	64	74	67	62	3	66

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 हेतु स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष रु0 2000.00 लाख की धनराशि नमामि गंगे हेतु प्राविधानित की गई थी, उनके स्तर से मांग प्राप्त न होने के कारण उन्हें यह धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। स्वीकृत अवशेष धनराशि में रु0 850.00 लाख की धनराशि कैम्पा प्रबन्धन, क्षतिपूरक वनीकरण एवं कैट प्लान की बढ़ी हुई दरों की प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधानित है। इस

प्रकार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अधिकांश लगभग 95 प्रतिशत धनराशि उपयोग की जा चुकी है।

(ख) वर्ष 2020–21 के अंतर्गत सृजित मानव दिवस/रोजगार सृजन :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वर्ष 2020–21 में कैम्पा के अंतर्गत रु0 22509.00 लाख की स्वीकृत कार्ययोजना हेतु अनुमानित कुल 33.60 लाख मानव दिवसों के सापेक्ष अब तक हुए कार्यो से सृजित कुल 25.95 लाख मानव दिवसों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कैम्पा कार्यों से हुए रोजगार सृजन सम्बन्धी **'आत्मनिर्भर भारत'** के अंतर्गत साप्ताहिक समीक्षा भारत सरकार के स्तर से की जा रही है।

कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के अंतर्गत कुल अनुमानित 21,200 रोजगार सृजन के सापेक्ष वर्तमान तक हुए व्यय से 12,120 रोजगार सृजित किए गये हैं।

(ग) वर्ष 2020–21 के अंतर्गत भौतिक उपलब्धि :–

- वर्ष 2020–21 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष कैम्पा की वचनबद्ध गतिविधियों में 2550 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है तथा लगभग 3000 है0 में अग्रिम मृदा कार्य सम्पादित किया जा रहा है।
- प्रदेश में संचालित 10 कैट प्लानों के अंतर्गत अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार सम्बन्धित कैचमेन्ट क्षेत्रों में रु0 3000.00 लाख की धनराशि से उपचार कार्य गतिमान है।
- मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत प्राविधानित रु0 1500.00 लाख की धनराशि से विभिन्न गतिविधियों के साथ–साथ प्रदेश की मृतप्राय नदियों के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान देते हुए इस वर्ष कोसी के अतिरिक्त क्षिप्रा, खो, नयार व गरूड़गंगा नदियों के पुनर्जीवन का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

  वर्ष 2020–21 में मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत उक्तानुसार सम्पादित विभिन्न कार्यों से लगभग 7 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित होने का अनुमान है।
- कुम्भ के दौरान मानव–वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के दृष्टिगत सोलर फेन्सिंग, हाथियों की कॉलर आई0डी0, सुरक्षा दीवार, प्राकृतावास विकास आदि विभिन्न गतिविधियों में रु0 1090.90 लांख की धनराशि से कार्य सम्पादित किए जा रहे हैं।

  प्रदेश में जंगली सुअरों व उत्पाती बन्दरों की समस्या के निवारण के दृष्टिगत मानव वन्य जीव की रोकथाम हेतु उत्पाती बन्दरों को पकड़ने, बन्ध्याकरण करने, बन्दरबाड़ा निर्माण आदि हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 में प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न रेस्क्यू सेण्टरों में वर्तमान तक कुल 6773 बन्दरों का बन्ध्याकरण कर इन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया है।

- प्रदेश के अंतर्गत बुग्यालों के संरक्षण व संवर्धन पर विशेष रूचि लेते हुए रु0 581.40 लाख की धनराशि से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
- वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत इनमें वृक्षारोपण, चारागाह विकास, प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि हेतु कुल रु0 600.00 लाख की धनराशि व पंचायती वनों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु रु0 179.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिनमें कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना है।

  मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उपरोक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए मृदा एवं जल संरक्षण एवं नदियों के पुनर्जीवन हेतु प्रदेश की विभिन्न अन्य मृतप्राय नदियों को चिन्हित कर उन्हें भी पुनर्जीवित किए जाने का प्रयास करने हेतु निर्देश दिये गये।

2– <u>वर्ष 2020–21 की अनुपूरक कार्ययोजना</u> :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा, संचालन समिति की दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक में प्रदत्त स्वीकृति के उपरान्त कुल `26249.09 लाख की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार की कार्यकारी समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2021 को सम्पन्न दसवीं बैठक में उक्त सापेक्ष `12855.00 लाख की अनुपूरक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुपूरक कार्ययोजना पर गतिविधिवार चर्चा की गई जिसमें धनराशि का वित्तीय वर्ष के अंतर्गत मानकों के अनुरूप शत–प्रतिशत उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये।

(क) सर्वप्रथम एन0पी0वी0 के अंतर्गत वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदायों (वन प्रहरियों) की सीजनल तैनाती हेतु स्वीकृत रु0 4000.00 लाख की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में लगभग 5000 महिला मंगल दल, लगभग 32000 स्वयं सहायता समूह एवं 12500 वन पंचायतें कार्यरत हैं, अतः इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को क्रमशः वन पंचायत, ईको विकास समिति, स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दलों व महिला मंगल दलों के माध्यम से वन प्रहरियों को सीजनल रूप से रखते हुए उक्त वन प्रहरियों को नियमानुसार मानदेय की धनराशि सी.ई.ओ., कैम्पा के माध्यम से संबंधित वन पंचायतों, इको विकास समिति, स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दलों व महिला मंगल दलों के बैंक खातों में आवंटित/ट्रांसफर की जायेगी।

(ख) मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड की चिन्हित प्रदूषित नदियों यथा–भेला, ढेला, सुसवा, पिलाकर, नन्धौर एवं कल्याणी हेतु स्वीकृत रु0 1500.00 लाख की धनराशि से कराए जाने वाले वानिकी एवं मृदा एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता के आधार

पर पूर्ण किया जाए। इस वित्तीय वर्ष में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण तथा मृदा व जल संरक्षण संबंधी कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा। उक्त नदियों के किनारे निर्मित किए जाने वाले वृहद् रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स को सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से संपादित किया जायेगा।

(ग) सोलर/इलैक्ट्रिक फेन्सिंग हेतु स्वीकृत रु0 400.00 लाख की धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि यदि इन कार्यों को प्रभागों द्वारा किए जाने में विलम्ब होने की सम्भावना हो तो यह कार्य उरेडा के माध्यम से किये जायें।

(घ) हाथी रोधी खाई खुदान एवं सुअर/हाथी रोधी सुरक्षा दीवार हेतु स्वीकृत क्रमशरु रु0 336.00 लाख एवं रु0 500.00 लाख की धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया कि इन कार्यों को भी विभाग से इसी शर्त में किया जाए कि लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति ससमय सुनिश्चित हो सके, अन्यथा की स्थिति में इन कार्यों को सिंचाई विभाग के माध्यम से कराया जाए।

(ड़) वानर रेस्क्यू सेण्टर एवं वन रक्षक चौकियों हेतु स्वीकृत क्रमशः रु0 800.00 लाख एवं रु0 307.00 लाख की धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में इन कार्यों को आर0ई0एस0/आर0डब्लू0डी0 के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के सम्बन्ध में जिन स्थानों पर वानर रेस्क्यू सेण्टर की स्थापना की जानी है, जो कि दानीबंगर (हल्द्वानी), हरिद्वार, सिविल सोयम अल्मोड़ा एवं केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में बनाए जाने प्रस्तावित हैं।

(च) उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त गतिविधियों को विभाग द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित समयान्तर्गत सम्पादित किया जाए।

(छ) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना रु0 12855.00 लाख के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वन एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निर्देश दिए गये कि उक्त धनराशि अविलम्ब अवमुक्त की जाए। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वन विभाग के माध्यम से रु0 12855.00 लाख की मांग उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जा चुकी है। प्रमुख सचिव, वन द्वारा निर्देश दिए गये कि प्रथमतः वर्तमान में कैम्पा फण्ड में गतवर्षों की उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जाए, तदोपरान्त स्वीकृति के सापेक्ष शेष बजट/मांग हेतु शासन से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

3– वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2021–22 हेतु राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित विभिन्न मूल आवेदनों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नदियों के पुनर्जनन/उपचार एवं इन क्षेत्रों में वनीकरण सम्बन्धी कार्यों एवं वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा को और सुदृढ़ किए जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में, कैम्पा के मानकों अनुसार समुचित धनराशि का प्राविधान करते हुए वर्ष 2021–22 की कुल `95080.90 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को दिनांक 23.02.2021 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृत कार्ययोजना को दिनांक 26.02.2021 को निर्धारित संचालन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावित कार्ययोजना का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

वचनबद्ध गतिविधियां			एन0पी0वी0	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख ₹ में)
क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य विशिष्ट कार्य	कैट प्लान			
8346.53	2515.44	10959.85	70309.08	2950.00	95080.90

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में वर्ष 2021–22 की उपरोक्त वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित मुख्य–मुख्य गतिविधियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उपरोक्त पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि वार्षिक कार्ययोजना में वनाग्नि के अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर इनमें सघन व्यवस्था तैयार की जाए एवं यथासम्भव वनाग्नि घटनाओं को अत्यन्त न्यून करने का प्रयास किया जाए।

4– अन्य बिन्दु :–

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत तैयार गर्जिया टूरिस्ट जोन एवं इसके अंतर्गत सम्पादित होने वाली विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें 60 वाहन चालक एवं 60 नेचर गाईडों को रोजगार मिला है। साथ ही इसकी स्थापना से विभाग में दो माह के अंतर्गत रु0 50.00 लाख के राजस्व की प्राप्ति हुई है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इस प्रयास की सराहना की गई। इस संबंध में मा. वन मंत्री जी एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया

कि पौड़ी जनपद के कालागढ़ स्थित कार्बेट वाइल्डलाईफ ट्रेनिंग सेंटर का नाम परिवर्तन कर **कार्बेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैनिंग एण्ड नेचर गाईडिंग**'' किया जाय। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त इंस्टीट्यूट में वन्यजीव प्रबंधन/प्रशिक्षण तथा नेचर गाईडिंग के कोर्स संचालित कर युवाओं/ग्रामीणों/महिलाओं का कौशल विकास कर उनके रोजगार के लिए मार्ग प्रशस्त किए जाने का प्रयास किया जायेगा। मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

(डा. पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव,
मा0 मुख्यमंत्री,

मुख्यमंत्री सचिवालय
संख्याः 19 /वि.स.मु.मं./2021
देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड।
4. श्री एस0एस0 नेगी, सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

(डा. पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव,
मा0 मुख्यमंत्री,